यू पी राज्य एवं अन्य

बनाम

रोशन सिंह (मृतक) जरिए विधिक वारीसान एवं अन्य

(सी. ए. सं. 453-455/2008)

16 जनवरी, 2008

(डॉक्टर अरिजीत पसायत और आफताब आलम, जे.जे.)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

धारा 151- न्यायालय की शक्तियां- दायरा- भूमिधारक द्वारा अपील नियमित समयावधि में नहीं करना अपनी अधिकतम सीमा से ज्यादा लगभग 2 साल के अंतराल के बाद धारा 151 सीपीसी के अंतर्गत निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष आवेदन- प्रार्थना पत्र अस्वीकार- उच्च न्यायालय ने अनुमति दी- जहां पर वैकलिपक उपाय उपलब्ध हो वहां धारा 151 सी पी सी लागू नहीं होगी- भूमि धारक ने जब धारा 12 सीलिंग एक्ट के अंतर्गत प्रार्थना पत्र लगाए बिना उच्च न्यायालय का निर्णय कायम नहीं रखा जा सकता है- यू पी इम्पोशिन ऑफ सीलींग आन लेंड होल्डींग एक्ट, 1954- धारा 12।

यू पी इम्पोशिन ऑफ सीलींग आन लेंड होल्डींग एक्ट, 1954 पर

अधिकतम सीमा अधिरोपण के प्रावधानों के तहत प्रतिवादी खातेदार की कुछ भूमि को अधिशेष घोषित किया गया था। उसने कोई अपील दायर नहीं की। लगभग दो वर्षों के अंतराल के बाद, प्रतिवादी किरायेदार ने विहित प्राधिकारी के समक्ष धारा 151 सीपीसी के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया कि सीलिंग कार्यवाही के दौरान, चकबंदी कार्यवाही भी चल रही थी जिसमें अलग-अलग क्षेत्र का संकेत दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उसकी हिस्सेदारी कम हो गई थी। दावे को अस्वीकार कर दिया गया। भूमि धारक द्वारा पेश की गई अपील को भी खारिज कर दिया गया। इसके आद उसने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। इस बीच अधिशेष भूमि वितरित की गई जिसके खिलाफ दो और रिट याचिकाएं दायर की गई। उच्च न्यायालय ने पहली रिट याचिका को अनुमति दी और उस आधार पर बाद की रिट याचिकाओं को भी अनुमति दी।

राज्य सरकार द्वारा दायर वर्तमान अपीलों में, अपीलार्थियों के लिए, अन्य बातों के साथ, यह तर्क दिया गया था कि जब वैधानिक रूप से एक अवसर और/या मंच प्रदान किया गया था जिसका लाभ नहीं उठाया गया था, सी पी सी की धारा 151 के तहत आवेदन संधारणीय नहीं था।

अपीलों को अनुमति प्रदान करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि: 1.1 यह सुस्थापित सिद्धांत है कि धारा 151 सी पी सी जहां पर अतिरिक्त उपचार उपलब्ध है वहां पर लागू नहीं होगी। उक्त धारा का उद्देश्य

सीपीसी में दिए गए उपायों को न तो पूरक करना है और न ही प्रतिस्थापित करना है और न ही अन्य स्पष्ट प्रावधानों को रद्द करना या टालना है। इसे तब लागू नहीं किया जा सकता जब स्पष्ट प्रावधान हो जिसके तहत पीड़ित पक्ष राहत का दावा कर सकता है। शक्ति का क्रियाशील क्षेत्र इस प्रकार प्रतिबंधित होने के कारण, उसे अंतर्निहित शक्ति तक नहीं पहुँचाया जा सकता। न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ उसे विशेष रूप से प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त हैं। यदि किसी विशेष विषय को कवर करने वाले स्पष्ट प्रावधान हैं, तो उस संबंध में धारा 151 सीपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। धारा 151 सीपीसी न्यायालय को ऐसे आदेश देने की शक्ति प्रदान करती है जो न्याय के लिए आवश्यक हो सकते हैं। (पैरा 7) (792-ए, बी, सी)

अर्जुन सिंह बनाम मोहिन्द्र कुमार और अन्य ए आई आर 1964 एस सी 993 और *पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम करन सिंह बिनायक और अन्य* 2002(4) एस सी सी 188- पर भरोसा किया।

1.2 उन मामलों में जहां सी पी सी लागू नहीं होती, वहां न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल पक्षकारों के मध्य न्याय करने में कर सकता है। सी पी सी में हर विषय के संबंध में विशिष्ठ प्रावधान है एवं यह प्रावधान स्पष्ट रूप से अथवा निहितार्थ न्यायालय की समस्त शक्तियों की विस्तृत रूप से व्याख्या करता है और किसी विषय के संबंध में

न्यायालय के क्षेत्राधिकार को भी बताता है। अंतनिर्हित शक्तियां स्पष्ट प्रावधानों के होते हुये उपयोग नहीं की जा सकती। अंतनिर्हित शक्तियां किसी भी पक्षकारों जिसे सी पी सी के अन्य प्रावधान के अंतर्गत उपचार प्राप्त हो सकता है, के लिए उपयोग में नहीं ली जा सकती है। यही स्थिति किसी अन्य अधिनियम में दिये गये प्रावधानों पर भी लागू होती है।

1.3 निर्विवाद रूप से, कोई भी पीडित पक्ष यू पी के तहत उपचार के बिना नहीं है। भूमि जोत अधिनियम, 1954 पर सीमा लगाना। उच्च न्यायालय के निष्कर्ष न केवल गूढ है, बल्कि बिना किसी आधार के भी संकेत देते है। इसके लावा, 151 सी पी सी के तहत आवेदन अधिनियम की धारा 12 के तहत अपील दायर करने के लिए प्रदान की गई अवधि के लंबे समय बाद दायर किया गया था। त्वरित अपीलों में दिये गये उच्च न्यायालय के फैसले को कायम नहीं रखा जा सकता और उसे रद्द कर दिया जाता है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 453-455/2008

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सिविल विविध रिट याचिका संख्या 19050/1995 में सिविल विविध रिट याचिका संख्या 8825/1995 में सिविल विविध रिट याचिका संख्या 17464/1984 में पारित अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांकित 13.11.2022 से।

अपीलार्थियों की ओर से एस.के.द्विवेदी, एएजी, रत्नाकर दास, अभिषेक चौधरी, मनोज कुमार द्विवेदी वंदना मिश्रा और गुणनाम वेंजातेस्वरा राव।

प्रतिवादियों के लिए ए.एस.पुंडीर और बी.के.पाल।

न्यायालय का निर्णय डॉ.अरिजीत पासायत, जे. द्वारा पारित किया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इन अपीलों में चुनौती इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को दी गई है, जिसमें सिविल विविध रिट याचिकाएँ 17464/1984, 8825/1995 और 19050/1995 को अनुमति दी गई थी। पहली रिट याचिका में यूपी भूमि जोत पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1954 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत निर्धारित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित अपीलीय आदेश को चुनौती दी गई थी।

3. तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:-

अधिनियम की धारा 10(2) के तहत नोटिस जारी करने के बाद प्रतिवादी रोशन सिंह की 17 बीघा 10 बिस्वा और 2 बिस्वांसी भूमि को अधिशेष घोषित किया गया। इसके बाद चकबंदी कार्रवाई शुरू हुई। अधिनियम की धारा 107 के तहत कार्यवाही 28.3.1974 को शुरू की गई

और प्रतिवादी-रोशन सिंह को नोटिस पर अपना जवाब दाखिल करने का अवसर दिया गया। आपत्ति 25.5.1974 को दायर की गई थी और आदेश दिनांक 14.1.1980 द्वारा विहित प्राधिकारी ने अधिशेष का निर्धारण करने के बाद प्रतिवादी को अपने पास रखी जाने वाली भूमि की पसंद को इंगित करने का अवसर दिया। प्रतिवादी ने कोई विकल्प नहीं बताया। अतः आदेश दिनांक 8.4.1982 द्वारा 17 बीघा 10 बिस्वा तथा 2 बिस्वाँसी भूमि को अधिशेष घोषित किया गया। इसके बाद अतिरिक्त जमीन पर कब्जा कर लिया गया। अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत अपील का प्रावधान है। लेकिन प्रतिवादी रोशन सिंह ने कोई अपील नहीं की। दूसरी ओर 17.2.1984 को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में सीपीसी में) की धारा 151 के तहत शीर्षक वाला एक आवेदन दायर किया गया था। स्टैंड लिया गया था कि समेकन की कार्यवाही में अलग -अलग क्षेत्र का संकेत दिया गया था और इसलिए, होल्डिंग कम हो गई थी। 23.3.1984 और 30.3.1984 को राज्य के पदाधिकारियों द्वारा आपत्तियां दायर की गईं। आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित प्राधिकारी ने दिनांक 3.4.1984 द्वारा प्रतिवादी-रोशन सिंह के दावे को खारिज कर दिया। उसके द्वारा एक अपील III अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बांदा, यू.पी. प्रस्तुत की गई अर्थात राजस्व अपील संख्या 24/1984. अपील को 21.8.1984 को खारिज कर दिया गया था। सिविल रिट याचिका नंबर 17464/1984 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था। इसके बाद, अधिशेष भूमि

वितरित की गई। इन्हें सिविल रिट याचिका नंबर 8825/1995 और 19050/1995 में चुनौती दी गई थी। पहली रिट याचिका को निम्नलिखित अवलोकनों के साथ विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमति दी गई थी:

> "याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी.के.एस. चौधरी और प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव को सुनने के बाद, इस न्यायालय का विचार है कि चूंकि चकबंदी अभियान के दौरान की गई क्षेत्र की कटौती सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए की गई है, याचिकाकर्ता उक्त कटौती का लाभ पाने का हकदार है। याचिकाकर्ता के वकील द्वारा दी गई दलील में दम है और इसलिए, रिट याचिका स्वीकार की जानी चाहिए।"

4. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपरोक्त उद्धृत भाग एकमात्र आधार था जिस पर रिट याचिका की अनुमति दी गई थी। पहले मामले में दिए गए निर्णय के बाद दो आदेशों की भी अनुमति दी गई थी।

5. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत है। सबसे पहले, धारा 151 के तहत याचिका तब संधारणीय नहीं थी जब वैधानिक रूप से एक अवसर और/या मंच प्रदान किया जाता है, जिसका लाभ नहीं उठाया गया था।

इसके अलावा अधिनियम और समेकन अधिनियम के तहत कार्यवाही विभिन्न क्षेत्रों में संचालित होती है और इसलिए, भले ही क्षेत्र अलग था, समेकन अधिनियम के तहत मापदंडों के आधार पर था और धारा 151 का सहारा लेकर अंतिम मुद्दों को फिर से खोलने का देर से किया गया प्रयास स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य था।

6. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दो अलग-अलग क्षेत्र नहीं हो सकते; एक अधिनियम के तहत और दूसरा समेकन अधिनियम। इसलिए, उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण न्यायोचित था।

7. न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग को विनियमित करने वाले सिद्धांतों को कई मामलों में उजागर किया गया है। जिन मामलों से सीपीसी निपटती नहीं है, न्यायालय उन पक्षों के बीच न्याय करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करेगा जो परिस्थितियों के तहत जरूरी है और मामले के लिए आवश्यक है। यदि किसी विशेष विषय से संबंधित सीपीसी के विशिष्ट प्रावधान हैं और स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ न्यायालय की शक्तियों या किसी मामले के संबंध में प्रयोग किए जा सकने वाले क्षेत्राधिकार के दायरे को समाप्त करते हैं, तो सीपीसी द्वारा प्रदत्त शक्तियों में कटौती करने के लिए न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को लागू नहीं किया जा सकता है। न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग उस वादी के लाभ के लिए नहीं किया जाना चाहिए जिसके पास सीपीसी के

तहत उपचार है। अन्य क़ानूनों की तुलना में भी यही स्थिति है। धारा 151 सीपीसी का उद्देश्य सीपीसी में दिए गए उपायों को पूरक करना है न कि उन्हें प्रतिस्थापित करना। धारा 151 सीपीसी तब उपलब्ध नहीं होगी जब वैकल्पिक उपाय मौजूद हो और उसे कानून का एक सुस्थापित अनुपात माना जाता हो। शक्ति का क्रियाशील क्षेत्र इस प्रकार प्रतिबंधित होने के कारण, उसे अंतर्निहित शक्ति तक नहीं पहुँचाया जा सकता। न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ उसे विशेष रूप से प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त हैं। यदि किसी विशेष विषय को कवर करने वाले स्पष्ट प्रावधान हैं, तो उस संबंध में ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यह धारा न्यायालय को ऐसे आदेश देने की शक्ति प्रदान करती है जो न्यायालय के न्याय के लिए आवश्यक हो सकते हैं। धारा 151 सीपीसी तब लागू नहीं की जा सकती जब स्पष्ट प्रावधान हो जिसके तहत पीड़ित पक्ष राहत का दावा कर सकता है। शक्ति का उपयोग केवल संहिता के प्रावधानों को पूरक करने के लिए किया जा सकता है, न कि अन्य स्पष्ट प्रावधानों को खत्म करने या उनसे बचने के लिए। जहां तक अन्य क़ानूनों का संबंध है, स्थिति भिन्न नहीं है। निर्विवाद रूप से, एक पीड़ित व्यक्ति अधिनियम के तहत उपचार से वंचित नहीं है।

8. उच्च न्यायालय के निष्कर्ष न केवल प्रछन्न हैं, बल्कि बिना किसी आधार के भी संकेत देते हैं। जैसा कि अधिनियम की धारा 12 के

तहत अपील दायर करने के लिए प्रदान की गई अवधि के लंबे समय बाद अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा सही तर्क दिया गया था, धारा 151 सीपीसी के तहत आवेदन दायर किया गया था।

9. इस न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम करण सिंह बिनायक और अन्य (2002 (4) एस सी सी 188), में अन्य बातों के साथ साथ यह पाया कि:

> "पट्टे के तहत 25 वर्ष की अवधि वर्ष 1976 में समाप्त हो गई। अधिनियम के तहत अधिसूचना 11 नवंबर, 1954 को जारी की गई थी। 1957 में अधिनियम की धारा 44 के तहत अधिकारों का रिकॉर्ड तैयार किया गया था जिसके अनुसार भूमि को अधिनियम की धारा 6(1)(बी) के तहत बरकरार रखा गया था। उच्च न्यायालय द्वारा आधिकारिक परिसमापक को संपत्ति को अस्वीकार करने का निर्देश देने वाले आदेश पर पट्टेदार के परिसमापन पर कब्ज़ा 1981 में मूल मालिकों को सौंप दिया गया था। जिसे बाद में वर्ष 1988 में किए गए बिक्री के समझौतों और 1992-93 में बिक्री कार्यों के संदर्भ में रिट याचिकाकर्ताओं को हस्तांतरित कर दिया गया था।" इसी बीच वर्ष 1991 में के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने पर यूएलसी अधिनियम, 6145.90 वर्ग

मीटर भूमि को उक्त अधिनियम के तहत अतिरिक्त माना गया था। जून 1993 में, योजनाओं को मंजूरी दी गई और निर्माण शुरू हुआ। इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि अधिकारों के रिकॉर्ड की तैयारी के बाद, न केवल अपीलकर्ताओं ने कोई कदम नहीं उठाया और मामले पर सोए रहे, बल्कि प्रश्न में भूमि के संबंध में प्रतिवादियों द्वारा उपरोक्त विभिन्न कदम उठाए गए। तर्क यह है कि यूएलसी अधिनियम के तहत कार्यवाही या अधिकारों के रिकॉर्ड की तैयारी अधिकार क्षेत्र से बाहर है और अधिकार क्षेत्र के बिना कार्य करती है और इसलिए, ये कार्यवाही धारा 151 सीपीसी के तहत अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का उपयोग करने वाले अपीलकर्ताओं पर रोक के रूप में काम नहीं करेगी। अधिनियम की धारा 57 ए के तहत ऐसी शक्ति प्रदान करना पूरी तरह से गलत और ग़लत है। निर्णीत मामलों पर फिर से सुनवाई के लिए अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। जब स्थिति से निपटने के लिए अधिनियम में विशिष्ट प्रावधान हों तो इन शक्तियों का सहारा नहीं लिया जा सकता। अंतर्निहित शक्तियों के कथित अभ्यास में लगभग चार दशकों के बाद निर्णीत मामले को फिर से सुनवाई की अनुमति देना दुरुपयोग होगा। यह भी

सुझाव नहीं दिया गया है कि रिट याचिकाकर्ताओं या पूर्ववर्ती मालिकों की ओर से कोई मिलीभगत या धोखाधड़ी हुई थी। इन सभी वर्षों में अपीलकर्ताओं की ओर से पूर्ण निष्क्रियता के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण से कम कोई स्पष्टीकरण नहीं है।"

10. अर्जुन कुमार बनाम मोहीन्द्र कुमार और अन्य (एआईआर 1964 एस सी सी) में इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ यह पाया कि:

"एक अन्य पहलू भी है जिससे इसी प्रश्न को देखा जा सकता है। आदेश IX नियम 7 उन शर्तों को निर्धारित करता है जिनके अधीन उस नियम के शुरुआती शब्दों के तहत सक्षम आवेदन पर ही विचार किया जाना चाहिए। अब, यदि श्री पाठक की दलील स्वीकार कर ली जाती है, तो इसका मतलब शुरुआती शब्दों को नजरअंदाज करना होगा और यह कहना होगा कि यद्यपि विशिष्ट शक्ति तब प्रदान की जाती है जब किसी मुकदमे को सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया जाता है, न्यायालय के पास एक अंतर्निहित शक्ति है, तब भी जब (ए) इसे उस उद्देश्य के लिए स्थगित नहीं किया जाता है, और (बी) और यह कुछ महत्व का है जब आदेश XX नियम 1 की अवधि को ध्यान में रखते हुए मुकदमा

बिल्कुल भी स्थगित नहीं किया जाता है। आदेश IX नियम 7 का मुख्य भाग पिछले दिन "गैर-उपस्थिति के लिए अच्छा कारण दिखाए जाने" की बात करता है। अब जब न्यायालय के कथित अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का आह्वान किया जाता है तो न्यायालय द्वारा लागू किए जाने वाले मानदंड क्या हैं? गैर-स्थिरांक को नियम 7 में वैधानिक रूप से किए गए प्रावधानों के समान होने की आवश्यकता नहीं है। यह सब केवल यह दर्शाता है कि न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को लागू करने की वास्तव में कोई गुंजाइश नहीं है।

अंततः, उस शक्ति का प्रयोग न्याय के लक्ष्य को सुरक्षित करने के लिए किया जाना चाहिए। यदि नियम 7 के स्तर पर शक्ति न्यायालय में निहित है और उसके बाद डिक्री पारित हो जाती है, आदेश IX नियम 13 लागू हो जाता है और पक्ष उस उपाय का लाभ उठा सकता है, न्याय के उन उद्देश्यों का मूल्यांकन करना बहुत मुश्किल है जो न्यायालयों द्वारा प्रदान किए जाने चाहिए, जिनके पास वह शक्ति है जो विद्वान अधिवक्ता कहते हैं कि होनी चाहिए। इस दृष्टि से इस बात पर विचार करना अनावश्यक है कि क्या

वर्तमान दलील को बरकरार रखने के लिए प्रतिवादी को यह साबित करना होगा कि न्यायालय को इस बात की जानकारी थी कि उसके पास विशिष्ट वैधानिक शक्ति का अभाव है और इसका इरादा उस अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करने का था जिसके बारे में उसका मानना था कि उसके पास ऐसे आदेश देने की शक्ति है जो न्याय के लिए आवश्यक हो सकते हैं।"

11. किसी भी दृष्टि से देखा जाए तो इन अपीलों में दिए गए उच्च न्यायालय के आदेशों को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और उन्हें रद्द कर दिया जाता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बाद की दो रिट याचिकाओं को मुख्य रूप से इस आधार पर अनुमति दी गई थी कि पहली रिट याचिका को अनुमति दी गई थी। अपील को अनुमति दी जाती है लेकिन ऐसी परिस्थितियों में लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

आर.पी.

अपीलों को अनुमति प्रदान की गईं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक न्यायिक अधिकारी कविता मीना, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।